मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 अगस्त 2014-श्रावण 17, शके 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के वर्ष 2014 की 10 वीं कक्षा की अंकसूची में मेरी पुत्री कु. ऋषिभा पंथी के मदर नेम में (Lakshmi Panthi) लिखा है, जबकि मदर नेम (Laxmi Panthi) होना चाहिए. मेरा यही नेम सही एवं प्रचलित है.

पुराना नाम :

(LAKSHMI PANTHI)

नया नाम :

(लक्ष्मी पंथी)
(LAXMI PANTHI)
जी-35/10, साउथ टी. टी. नगर,
भोपाल.

(229-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा शादी पूर्व नाम व उपनाम अनिता बाखरू था. शादी बाद परिवर्तित होकर मेरा नया नाम उपनाम श्रीमती कंचन धीरिया (SMT. KANCHAN DHIRIA) हो गया है. अतः अब मुझे अपने नए नाम उपनाम से जाना पहचाना जाए.

पुराना नाम :

(अनिता बाखरू)
(ANITA BAKHRU)

नया नाम :

(कंचन धीरिया)
(KANCHAN DHIRIA)
74, श्रवण कान्ता स्टेट, निजामुद्दीन कॉलोनी रोड,
अयोध्या, भेल, भोपाल, मध्यप्रदेश.

(230-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, Anthony Swamy S/o Lourd Swamy यह सूचित करता हूँ कि मेरी हाई स्कूल की अंकसूची में मेरा नाम Anthony Lourd Swamy लिखा है जबकि मेरा सही नाम Anthony Swamy S/o Lourd Swamy है जो कि मेरे अन्य सभी दस्तावेजों में दर्ज है. अत: मेरा नाम को Anthony Swamy S/o Lourd Swamy ही पढ़ा समझा जावे.

पुराना नाम :

(ANTHONY LOURD SWAMY)

नया नाम :

(ANTHONY SWAMY)

पता-335, नई बस्ती, सर्रा पीपल रॉझी,
जबलपुर (म.प्र.).

(232-बी.)

CHANGE IN NAME

It is to bring kind notice to the People that my daughters Previous name Kirti Makker has been changed to Saloni Makker. Therefore, in future my daughter will be known by the her new name only.

SANJAY MAKKER,
S/o Shyamlal Makker,
Address—74, Rani Bagh main Limbodi,
Khandwa Road Indore (M.P.).

(233-B.)

CHANGE IN NAME

I, ABDUL SAYEED ABDUL LATIF here by declare that I have change my name as ABDUL SAYEED KHAN S/o ABDUL LATIF So, from now and in future I will be known by my new name.

Old Name :

(ABDUL SAYEED ABDUL)

New Name :

(ABDUL SAYEED KHAN)
S/o Abdul Latif,
Address—Garden No. 63-67, Simrol Road,
Pasi Pura Road, Khan Colony Mhow,
Distt-Indore (M.P.).

(234-B.)

CHANGE IN NAME

I, ESHA INANI changed my name to ISHA INANI and now I would be known as ISHA INANI.

Old Name :

(ESHA INANI)

New Name :

(ISHA INANI)
Address—Plot No. 121, Slice-6/Sec-B,
Scheme No. 78, Vijay Nagar, Indore (M.P.).

(235-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती पायल लेडवानी पत्नी श्री विनोद लेडवानी, निवासी माधवगंज बापूदण्डी की गोठ, लश्कर, ग्वालियर का विवाह पूर्व नाम कु. हेमलता पुत्री श्री भगवानदास, निवासी बानमोर, जिला मुरैना था. विवाह उपरांत मेरा नाम श्रीमती पायल लेडवानी पत्नी श्री विनोद लेडवानी, निवासी माधवगंज बापूदण्डी की गोठ, लश्कर, ग्वालियर हो गया है. अब मैं इसी नाम से जानी व पहिचानी जाती हूँ. भविष्य में मुझे इसी नाम से पढ़ा जावे, जाना जावे.

पुराना नाम :

(हेमलता)
पुत्री-स्व. श्री भगवानदास,
निवासी-बानमोर, जिला मुरैना.

(236-बी.)

नया नाम :

(पायल लेडवानी)
पत्नी-श्री विनोद लेडवानी,
निवासी-माधवगंज बापूदण्डी की गोठ,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा नाम पहले पवन किंकर था. जिसे अब बदलकर रिद्म शर्मा (RHYTHM SHARMA)कर दिया गया है. अत: अब मुझे बदले हुए नाम से जाना और पहचाना जावे एवं आज से समस्त प्रकार के लेन-देन एवं व्यवहार बदले हुए नाम से ही मान्य होंगे.

पुराना नाम :

(पवन किंकर)

नया नाम :

(रिद्म शर्मा)

पिता-आशुतोष शर्मा (किंकर)

नीलकंठ कॉलोनी, इन्दौर.

(237-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं पूर्व में संजय के नाम से जाना एवं पहचाना जाता था. अब मुझे संजय सिंह के नाम से जाना एवं पहचाना जावे, समस्त दस्तावेजों में भूत एवं भविष्य में मेरा नाम संजय सिंह से पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(संजय)

नया नाम :

(संजय सिंह)

आ. स्व. कन्हैया प्रसाद,

एम. क्यू-936, हास्पिटल कालोनी, पाथाखेड़ा,

ग्राम सारणी, जिला-बैतूल (म.प्र.).

(239-बी.)

CHANGE OF NAME

I, Smt. Sanisa Harne W/o Shri Pradyumn Harne, R/o E-8/89, Bharat Nagar Bhopal. Before Marriage my name was Ku. Aarti Thakurdware. At present I known as my new name Smt. Sanisa Harne.

Old Name :

(कु. आरती ठाकुरद्वारे)

(Ku. AARTI THAKURDWARE)

New Name :

(सानिसा हर्णे)

(SANISA HARNE)

(240-B.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा एवं मेरी पत्नी का सही नाम संजय मूंदड़ा और श्रुति मूंदडा है जबकि मेरी पुत्री साक्षी और समृद्धी के स्कूल सहित कुछ कागजात में हमारा नाम समृद्धी व साक्षी माहेश्वरी पिता संजय माहेश्वरी, माता श्रुति माहेश्वरी लिखा है. जिसे अब हम स्कूल सहित सभी जगह पर एक समान साक्षी मूंदडा, समृद्धी मूंदडा पिता संजय मूंदडा, माता श्रुति मूंदडा चाहते हैं. अत: सभी जगह हमें माहेश्वरी की जगह मूंदडा उपनाम से ही लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(संजय माहेश्वरी)

नया नाम :

(संजय मूंदडा)

113-114, अनूप नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(242-बी.)

सूचना

(भागीदारी अधिनियम की धारा-72 के अन्तर्गत)

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, फर्म मे. नरेन्द्र कुमार जटाशंकर, 332, साकेत नगर, इन्दौर (फर्म पंजीयन क्रमांक-03/27/03/00089/08, दिनांक 01 सितम्बर, 2008) दिनांक 03 अक्टूबर, 2011 से भागीदार श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल पिता श्री जटाशंकर अग्रवाल जो निवृत्त (रिटायर्ड) हो गये और उनके स्थान पर श्रीमति मेघा अग्रवाल पति श्री आशीश अग्रवाल को फर्म में दिनांक 03 अक्टूबर, 2011 को फर्म में सम्मिलित कर लिया है.

M/s. Narendra Kumar Jatashankar,

ASHISH AGRAWAL,

Partner.

(231-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स शिव शक्ति स्टोन वर्क्स का गठन दिनांक 17 फरवरी, 2010 को एक भागिता विलेख के माध्यम से किया गया था. जिसका पंजीयन क्रमांक-05/49/02/00027/10 है. उक्त फर्म की संरचना में परिवर्तन दिनांक 03 दिसम्बर, 2010 को द्वितीय भागिता विलेख के द्वारा करते हुए फर्म ने दो नये पार्टनर क्रमशः पार्टनर न. 04 श्री घनश्याम दास अग्रहरि एवं पार्टनर नं.05 श्री गणेश अग्रहरि दिनांक 03 दिसम्बर, 2010 को शामिल हुये एवं पार्टनर न. 02 फूलचन्द्र अग्रहरि की मृत्यु हो जाने के कारण भागिता विलेख में लिखित शर्तों के अनुसार उनके पुत्र श्री शिवशंकर अग्रहरि को पार्टनर न.02 के रूप में दिनांक 03 दिसम्बर, 2010 को शामिल किया गया. उक्त भागीदारी विलेख में दिनांक 07 जनवरी, 2013 को पुनः परिवर्तन करते हुये पूर्व भागीदारी अभिलेख के संशोधित विलेख का निष्पादन करते हुये. पार्टनर न. 06 के रूप में श्रीमती पूजा सिंह चौहान को दिनांक 07 जनवरी, 2013 को शामिल किया गया. उपरोक्त तीनों भागीदारी विलेख को पुनर्गठित विलेख के द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 को पुनः परिवर्तित करते हुये प्रथम पार्टनर श्री दशरथ प्रसाद गुप्ता एवं पार्टनर न. 06 श्रीमती पूजा सिंह चौहान, दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 को स्वेच्छा से भागीदारी विलेख से पृथक हो गये एवं श्रीमती चन्द्रावती सिंह को पुनर्गठन विलेख में प्रथम भागीदारी के रूप में दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 को फर्म में शामिल किया जाता है. अतः जिस किसी को भागीदारी विलेख के सम्बन्ध में आपत्ति हो तो सात दिवस के अन्दर आपत्ति दर्ज करे. अतः दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 से फर्म से निकले भागीदारों का फर्म की किसी गतिविधि से कोई लेना-देना नहीं होगा.

द्वारा फर्म,
मेसर्स शिव शक्ति स्टोन वर्क्स,
शेषनाथ केशरी,
(पार्टनर),
ग्राम-पो. झारा, तहसील देवसर,
जिला-सिंगरोली(मध्यप्रदेश).

(238-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स नर्वदा कांस्ट्रक्शन कम्पनी फर्म पंजीयन क्रमांक 05/26/09/00018/09 फर्म के पार्टनर श्री संतोष कुमार गुप्ता, पता-अरविन्द साधनालय के पास टिकुरिया मोहल्ला-पन्ना, जिला पन्ना (मध्यप्रदेश) अपनी स्वेच्छा से आज दिनांक 31 मार्च, 2013 से फर्म से रिटायर हो गये हैं. जिनका फर्म की किसी भी गतिविधि से कोई लेना-देना नहीं होगा. तथा द्वितीय भागीदारी विलेख में नये पार्टनर के रूप में क्रमशः पार्टनर नं. 03 श्रीमती अंजना गुप्ता, पता अरविन्द साधनालय के पास टिकुरिया मोहल्ला, पन्ना, जिला पन्ना (मध्यप्रदेश) पार्टनर नं. 04, श्री राजेन्द्र गुप्ता, पता अरविन्द साधनालय के पास टिकुरिया मोहल्ला पन्ना, जिला पन्ना (मध्यप्रदेश), पार्टनर नं. 05 श्री दिनेश कुमार शुक्ला, पता इन्दौरी कॉलोनी आर. पी. एक्सीलेन्स स्कूल के बगल में पन्ना, जिला पन्ना (मध्यप्रदेश) दिनांक 25 जून, 2013 से फर्म में नये पार्टनर के रूप में शामिल हो गये हैं. अतः जिस किसी को आपत्ति हो तो वह प्रकाशन दिनांक के 07 (सात) दिवस के अन्दर आपत्ति दर्ज करें.

द्वारा फर्म,
नर्वदा कांस्ट्रक्शन कम्पनी,
संदीप कुमार सेठ,
(पार्टनर),
एम. आई. जी. 147, के सामने कौशल्या भवन,
भरहुत नगर सतना (मध्यप्रदेश).

(241-बी.)

विविध

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई, 2014

क्र./जी.बी./दो(24)2014/2319.—मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल में जीवित पंजीकृत समस्त जिल्दसाजों से बाईंडिंग एवं अन्य कार्य कराने हेतु दोहरी लिफाफा पद्धति के अन्तर्गत निर्धारित निविदा प्रपत्र में तकनीकी एवं कामर्शियल निविदा (पृथक-पृथक लिफाफों में सीलबन्द कर) दिनांक 25 अगस्त, 2014 अपरान्ह 1.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है. निविदा प्रपत्र रुपये 500.00 (रुपये पाँच सौ मात्र) नगद जमा कर दिनांक 23 अगस्त, 2014 अपरान्ह 4.00 बजे तक कार्यालयीन दिवस में क्रय किये जा सकते हैं. विलम्ब से प्राप्त होने वाली निविदा को स्वीकार नहीं किया जावेगा. निविदा प्रपत्र को मध्यप्रदेश शासन की वेबसाईट **www.tenders.gov.in** एवं **www.govtpressmp.nic.in** पर भी रखा गया है.

2. वेबसाईट से डाऊनलोड कर प्रस्तुत किये जा रहे निविदा प्रपत्र के साथ राष्ट्रीकृत/अनुसूची बैंक का रुपये 500.00 (रुपये पाँच सौ मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश भोपाल के पक्ष में तैयार कर संलग्न करना होगा. संलग्न न होने की स्थिति में निविदा अस्वीकार की जायेगी.

3. निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाओं की तकनीकी निविदा दिनांक 25 अगस्त, 2014 अपरान्ह 3.00 बजे निविदाकारों या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी. तकनीकी निविदाओं के परीक्षण उपरांत वाणिज्यिक निविदा खोलने की तिथि एवं समय की सूचना वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी. डाक विभाग से निविदा आदि भेजने एवं इस कार्यालय में प्राप्त करने आदि में हुए विलम्ब के लिये नियंत्रक कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा.

4. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नियंत्रक के पास सुरक्षित रहेगा.

(646)

भोपाल, दिनांक 04 अगस्त, 2014

क्र./जी.बी.चार/प्रिंटिंग (1) 2014-15/2350.—ऑनलाईन बिडिंग **https://www.mpeproc.gov.in** पर ई-टेण्डर से तकनीकी एवं कॉमर्शियल निविदा **की-डेड्स** अनुसार निर्माता या उनके अधिकृत एजेंट/डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स से प्रिंटिंग एवं अन्य सामग्री का क्रय शासकीय मुद्रणालय, भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं रीवा के लिये आमंत्रित की जाती है.

2. टेण्डर फार्म, शर्तें एवं निविदा के अनुबंध का प्रारूप वेबसाईट **www.tenders.gov.in** and **www.govt.pressmp.nic.in** पर अवलोकन किया जा सकता है.

3. समस्त पूर्तियों के उपरांत ई-निविदा की हार्डकापी एवं नमूने सूची सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में की-डेट्स अनुसार जमा कराना होगा. ऑन-लाईन निविदा एवं हार्डकापी की-डेट अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में स्वेच्छा से उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी.

4. सूचना/संशोधन/सुधार की स्थिति में जानकारी केवल वेबसाईट **https://www.mpeproc.gov.in** पर उपलब्ध रहेगी.

(645)

Bhopal, Dated 4th August, 2014

TENDER NOTICE

(Printing Articles)

No. GB-IV-Printing(1) 2014-15/2350.— *ONLINE Bidding go through* IT Department Portal **https://www.mpeproc.gov.in** and Sealed Technical & Commercial E-Tenders are invited as per Key-Dates from the manufacturers or thier Agents/Authorised Dealers for the supply of various types of printing materials for the Govt. Printing Press, Bhopal, Gwalior, Indore and Rewa.

2. Tender Document and agreement details of tender are also available at website **www.tenders.gov.in** and **www.govt.pressmp.nic.in.**

3. In all respects Hard Copy of the E-Tender document and sample of the items with list (sealded) must be received at the office of the undersigned as per key dates. Envelope ' A' Hard Copy of Technical Tender will be opened ONLINE as per key dates in the Office of the undersigned in the presence of such tenders or their authorised representatives as may be present.

4. All corrigendum/amendments/changes; if any will only be issued and made available only on **https://www.mpeproc.gov.in**

RENU TIWARI,
Controller,
Govt. Printing and Stationery,
Madhya Pradesh, Bhopal.

(645-A)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नौगांव, जिला छतरपुर

प्र. क्र. 01/बी-113/2013-14.

नौगांव, दिनांक 21 जुलाई, 2014

जय माँ आदिकुंआरी माता मन्दिर लोक न्यास
द्वारा नरेन्द्र खरे, निवासी हरपालपुर.

.....आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश .....अनावेदक

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम 5 (1) द्वारा लोक न्यासों के पंजीयन नौगांव, जिला छतरपुर]

यह कि श्री नरेन्द्र खरे, पुत्र शारदा प्रसाद खरे, सचिव, जय माँ आदिकुंआरी माता लोक न्यास हरपालपुर, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है.

अत: एतद्द्वारा सूचित किया जात है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 13 अगस्त, 2014 को प्रात: 11.00 बजे मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा. कोई व्यक्ति जो आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखता है. इस सूचना-पत्र की प्रकाशन तारीख से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में अपना कथन (सुझाव या आपत्ति) प्रस्तुत कर और मेरे समक्ष उक्त नियत दिनांक को स्वयं अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होवे.

उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/सुझावों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम व पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम व पता . . जय माँ आदिकुंआरी माता मन्दिर लोक न्यास (ट्रस्ट)हरपालपुर, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश.

सम्पत्ति का विवरण :-.

अ-चल सम्पत्ति .—

1. छत्र, मुकुट, माला चांदी की सात
2. जलपात्र, तांबा, पीतल, स्टील 15 नग
3. स्टील बर्तन थाली, लोटा, कटोरा 8 नग
4. माईक, स्पीकर, एम्पलीफायर, संदूक
5. संकीर्तन सम्बन्धी समस्त साज-बाज

ब— अचल सम्पत्ति .—

1. मन्दिर पक्का एक.

दिव्या अवस्थी,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(622)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, बुधनी, जिला सीहोर

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-3 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक, तहसील बुधनी, जिला सीहोर के समक्ष.

यह कि श्री राम जानकी मंदिर ट्रस्ट समिति, ग्राम चकल्दी, तहसील रेहटी ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा दिनांक 30 मई, 2014 दिवस मेरे न्यायालय में विचार किया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम व पता	. .	श्री राम जानकी मंदिर ट्रस्ट, ग्राम चकल्दी, तहसील रेहटी, जिला सीहोर
1. चल सम्पत्ति	. .	निरंक.
2. अचल सम्पत्ति	. .	निरंक.

एच. एस. चौधरी,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(623)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, कुक्षी, जिला धार

प्र. क्र./...../बी-113(1)/2007-08.

(फॉर्म-4)

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश न्यास अधिनियम, 1951(तीसवां)की धारा-5(2) और नियम-5 (1) मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1953]

श्री इस्लामिया अंजुमन कमेटी मुस्लिम जमात धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट निसरपुर, तहसील कुक्षी, जिला धार मध्यप्रदेश एवं अन्य सदस्य ने मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1959 की धारा-4 के अंतर्गत अनुसूचि में उल्लेखित सार्वजनिक न्यास पंजीयन के सम्बन्ध में आवेदन प्रस्तुत किया है. जन-साधारण को सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक 26 अगस्त, 2014 को विचार किया जावेगा.

अत: एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रति में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिगत या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. न्यास का नाम	:	इस्लामिया अंजुमन कमेटी मुस्लिम जमात धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट निसरपुर, तहसील कुक्षी, जिला धार.
2. अचल सम्पत्ति	:	मस्जिद, मदरसा, जमातखाना, ईदगाह, दरगाह, कब्रस्तान दो (चार हेक्टेयर), रहवासी मकान तीन (मस्जिद के पास, मस्जिद के सामने, जमादार मोहल्ले में) एवं दुकानें एवं रहवासी मकान (बाजार चौक).

रेखा राठौर,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(624)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल (सा.), वनमण्डल, बैतूल

बैतूल, दिनांक 17 मई, 2014

आ./क्र./मा.चि./2014/02.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि नीचे दर्शाया गया बीट हेमर क्रमांक-115 BT जो की बैतूल परिक्षेत्र की बीट बोड़ी हेतु प्रदाय किया गया था, शासकीय कार्य के दौरान वनरक्षक श्री बलराम इरपाचे बीट गार्ड से गुम हो गया है. गुमशुदा हेमर का पता लगाने का प्रयास किया, परन्तु हेमर तलाश करने पर भी नहीं मिल सका. हेमर गुम होने की रिपोर्ट पुलिस चौकी बैतूल गंज में की गई.

अत: वन वित्तीय नियम की धारा-124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए हेमर क्रमांक-115 BT उत्तर वनमण्डल (सा.) बैतूल के स्टाक से अपलेखित किया जाता है.

इस विज्ञप्ति के उपरांत जो कोई भी व्यक्ति गुमशुदा हेमर को अनाधिकृत रूप से रखने तथा उपयोग करते पाया गया तो उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-63 के अंतर्गत अभियोग चलाया जायेगा तथा वह व्यक्ति दण्ड का भागी होगा.

यदि उक्त हेमर किसी व्यक्ति को मिले तो वह पास के पुलिस थाने में अथवा नजदीकी वन कार्यालय में हेमर जमा करें अथवा सूचना दें.

गुमशुदा हेमर का मूल्य (200/-) श्री बलराम इरपाचे, वनरक्षक, बीट गार्ड बोड़ी से वसूल किया जावे. हेमर जैसे महत्वपूर्ण सामान के रख-रखाव में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप श्री बलराम इरपाचे, वनरक्षक, बीट गार्ड बोड़ी को परिनिन्दित किया जाता है.

ए. एस. तिवारी,
वनमण्डलाधिकारी.

(621)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., श्यामपुर (नानूखेडी),

तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 765, दिनांक 06 सितम्बर, 2001, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./14/625.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(605-A)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बडौदराणा,

तहसील अकोदिया, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 894, दिनांक 12 अक्टूबर, 2004, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./14/626.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग

करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(605-B)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तलेनी,

तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 401, दिनांक 09 फरवरी, 1987, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./14/627.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(605-C)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उमरसिंगी,

तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 309, दिनांक 27 जनवरी, 1984, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./14/628.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960

की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(605-D)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सखेडी,

तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 154, दिनांक 05 अप्रैल, 1980, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./14/629.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(605-E)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मकोडी,

तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 147, दिनांक 25 जनवरी, 1980, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./14/630.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(605-F)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धनसौदा,

तहसील गुलाना, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 540, दिनांक 07 जुलाई, 1990, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./14/631.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग

करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(605-G)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,
द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अख्यारपुर,
तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 806, दिनांक 26 मार्च, 2002, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./14/632.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(605-H)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अजीतपुर उगाय,

तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 476, दिनांक 26 अक्टूबर, 1989, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./14/633.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960

की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(605-I)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पटलावदा,

तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 152, दिनांक 25 जनवरी, 1980, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./14/634.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंज़ीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(605-J)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खडी,

तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 1043, दिनांक 29 दिसम्बर, 2010, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./14/635.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(605-K)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुमेर,

तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 520, दिनांक 16 अक्टूबर, 1989, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./14/636.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें.

यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(605-L)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पोलायकलॉ

तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 223, दिनांक 26 अगस्त, 1983, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./14/637.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(605-M)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रोंसला,

तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 523, दिनांक 26 अक्टूबर, 1989, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./14/638.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960

की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(605-N)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गणेशपुर,

तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 865, दिनांक 18 सितम्बर, 2003, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./14/639.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(605-O)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लसुडल्यापातला

तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 555, दिनांक 07 जुलाई, 1990, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र.

क्र./परि./14/640.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(605-P)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., राघवेल,

तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 592, दिनांक 12 सितम्बर, 1991, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र.

क्र./परि./14/641.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3)

एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(605-Q)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., घट्टीमुख्त्यारपुर,

तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 993, दिनांक 13 फरवरी, 2009, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र.

क्र./परि./14/642.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(605-R)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष कर्मचारी विकास साख सहकारी संस्था मर्या., शाजापुर,

तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 573, दिनांक 27 मार्च, 1991, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र.

क्र./परि./14/643.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960

की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाज़ापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(605-S)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष नवीन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., बावडीखेडा,

तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 692, दिनांक 05 जून, 1998, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र.

क्र./परि./14/644—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(605-T)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बाईगॉव,

तहसील आगर, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 964, दिनांक 10 जनवरी, 2008, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र.

क्र./परि./14/645.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(605-U)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष नवीन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., सोयतकलॉ,

तहसील सुसनेर, जिला आगर.

पंजीयन क्रमांक 868, दिनांक 31 अक्टूबर, 2003, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र.

क्र./परि./14/646.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(605-V)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष जयभवानी साख सहकारी संस्था मर्या., आगर,

तहसील आगर, जिला आगर.

पंजीयन क्रमांक 941, दिनांक 07 जून, 2006, जिला शाजापुर.

विषयः- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र.

क्र./परि./14/647.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(605-W)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष प्रियदर्शिनी महिला साख सहकारी संस्था मर्या., शुजालपुर,

तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 10, दिनांक 31 अक्टूबर, 2001, जिला शाजापुर.

विषयः- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र.

क्र./परि./14/648.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग

करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(605-X)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लोलकी,

तहसील नलखेडा, जिला आगर.

पंजीयन क्रमांक 483, दिनांक 21 मार्च, 1998, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./14/649.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(605-Y)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शीतलानगर,

तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 1048, दिनांक 12 जुलाई, 2011, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./14/650.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960

की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(605-Z)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उद्देपुर,

तहसील बडौद, जिला आगर.

पंजीयन क्रमांक 899, दिनांक 01 नवम्बर, 2004, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./14/651.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(606)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लालाखेडी (सोयत),

तहसील सुसनेर, जिला आगर.

पंजीयन क्रमांक 329, दिनांक 24 अक्टूबर, 1985, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./14/652.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(606-A)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गुणपीपली,

तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 989, दिनांक 13 फरवरी, 2009, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./14/653.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(606-B)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष मांझी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., डुंगलाय,

तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 641, दिनांक 16 मई, 1991, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./14/654.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(606-C)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष हरिओम साख सहकारी संस्था मर्या., नलखेडा,

तहसील नलखेडा, जिला आगर.

पंजीयन क्रमांक 05, दिनांक 22 फरवरी, 2001, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./14/655.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग

करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(606-D)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष नवीन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., डिगोन,

तहसील नलखेडा, जिला आगर.

पंजीयन क्रमांक 1054, दिनांक 13 सितम्बर, 2011, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./14/656.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(606-E)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष नवीन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., कानाखेडा,

तहसील बडौद, जिला आगर.

पंजीयन क्रमांक 1011, दिनांक 09 नवम्बर, 2009, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./14/657.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960

की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(606-F)

शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पेवची,

तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 922, दिनांक 30 अगस्त, 2005, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./14/658.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे :—

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

आर. के. मालवीय,
उप-पंजीयक.

(606-G)

कार्यालय परिसमापक, सतापुड़ा मत्स्योद्योग, सहकारी संस्था मर्यादित, उमरिया

उमरिया, दिनांक 06 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./14/1.—सतपुड़ा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, उमरिया, तहसील कसरावद, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक-/NMR(KRGN)1135, दिनांक 04 जून, 1997 है, को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, खरगोन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/761, दिनांक 18 जून, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम 1960, की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम, की धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मैं, मोहन परमार, वरिष्ठ सहकारिता निरीक्षक एवं परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम 1962 के नियम क्रमांक 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद् द्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरूद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वांछित होने के दायित्वाधीन होंगे, यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझें जावेंगे.

उक्त सूचना आज दिनांक 06 जुलाई, 2014 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर से जारी किया गया.

मोहन परमार,

(609) वरिष्ठ सहकारिता निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3221, दिनांक 11 अगस्त, 2011 के द्वारा खेल-खिलाड़ी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी. आर. बी./ 937, दिनांक 23 मई, 2003 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती मीरा देवी, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि ''संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है''

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है.

(610)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 4555, दिनांक 20 अक्टूबर, 2011 के द्वारा मुस्तफा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, पंजीयन क्रमांक ए. आर. बी./ 743, दिनांक 13 अक्टूबर, 1994 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती संगीता मीना, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि ''संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है''

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है.

(610-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1249, दिनांक 31 मार्च, 2000 के द्वारा बेरोजगार इंजीनियर्स सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, पंजीयन क्रमांक ए. आर. बी./ 644, दिनांक 04 नवम्बर, 1972 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री जी. एस. मकबाना, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि "संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है"

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है.

(610-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 4045, दिनांक 20 अक्टूबर, 2011 के द्वारा मुक्ता महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, पंजीयन क्रमांक ए. आर. बी./ 670, दिनांक 20 जुलाई, 1994 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री गिरीश शर्मा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि "संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है"

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है.

(610-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1281, दिनांक 31 मार्च, 2001 के द्वारा आदर्श एकता प्लास्टिक एवं चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, पंजीयन क्रमांक ए. आर. बी./ 162, दिनांक 07 जनवरी, 1982 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री के. सी. जैन, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि ''संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है''

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है.

आर. एस. विश्वकर्मा,
उप-पंजीयक.

(610-D)

कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि./91/1064, जबलपुर दिनांक 15 अप्रैल, 1991 के द्वारा संस्था मछुआ सहकारी समिति मर्या., मझौली, पंजीयन क्रमांक 479, दिनांक 19 जून, 1973 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री विवेक जैन, स. वि. अ. मझौली द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बनें रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-1999-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था मछुआ सहकारी समिति मर्या., मझौली, पंजीयन क्रमांक 479, दिनांक 19 जून, 1973 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 04 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

(611)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि./02/2019, जबलपुर दिनांक 16 जून, 2002 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी समिति खैरी पाटन, पंजीयन क्रमांक 880, दिनांक..... है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेन्द्र यादव, स. वि. अ. पाटन द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-1999-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था तिलहन उत्पादक सहकारी समिति खैरी पाटन, पंजीयन क्रमांक 880, दिनांक..... का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 04 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

के. सी. अग्रवाल,
सहायक पंजीयक.

(611- A)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

देवास, दिनांक 27 जून, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./14/1362.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1677, दिनांक 19 जून, 2012 के द्वारा नेशनल महिला प्राथ. भण्डार सहकारी मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 926, दिनांक 07 मार्च, 2001 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती अनिता मेहरा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता, विभाग, भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 27 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

के. एन. त्रिपाठी,
उप-पंजीयक.

(612)

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्था, जिला झाबुआ के आदेश क्र./परि./2014/213-2, झाबुआ दिनांक 18 मार्च, 2014 के अनुसार निम्न सहकारी समितियों का जिनके नाम व पंजीयन दिनांक व आदेश क्रमांक का उल्लेख किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-7 रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाऐं, जिला झाबुआ के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत मुझे निम्नांकित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	गणेश बीज आजीविका सह. संस्था मर्या., हनुमत्या, जिला झाबुआ	1052/13-07-2010	क्र./परि.2014/213-2/18-03-2014

अतः मैं, सुभाष कर्णिक, परिसमापक व वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त संस्था के संबंध में कोई दावा या आपत्ति या रेकार्ड हो तो इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से 2 माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला झाबुआ में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावे और आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और संस्था के परिसमापन की वैध कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के पूर्व कर्मचारी/सदस्यों/पदाधिकारियों के पास कोई रेकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे भी उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.

(613)

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्था, जिला झाबुआ के आदेश क्र./परि./2014/213-1-2, झाबुआ, दिनांक 18 मार्च, 2014 के अनुसार निम्न सहकारी समितियों का जिनके नाम व पंजीयन दिनांक व आदेश क्रमांक का उल्लेख किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-7 रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाऐं, जिला झाबुआ

के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत मुझे निम्नांकित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बोडायता	1059/04-09-2010	2014/213-1
2.	माँ शारदा बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या. बामनिया, जिला झाबुआ.	1021/17-05-2007	2014/213-2

अत: मैं, सुभाष कर्णिक, परिसमापक व वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त संस्थाओं के संबंध में कोई दावा या आपत्ति या रेकार्ड हो तो इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से 2 माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावें और आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और संस्था के परिसमापन की वैध कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के पूर्व कर्मचारी/सदस्यों/पदाधिकारियों के पास कोई रेकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे भी उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.

सुभाष कर्णिक,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(613-A)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अनन्तखेडी, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ पंजीयन क्रमांक 918, दिनांक 27 दिसम्बर, 1995 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/254, दिनांक 28 जुलाई, 2008 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है, कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 07 जुलाई, 2014 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 07 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बबलू सातनकर,
उप-पंजीयक.

(614)

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 26 जुलाई, 2014

क्र./परि./2014/688.—सुदर्शन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर, जिला ग्वालियर जिसका पंजीयन DR/GWR/232, दिनांक 31 अक्टूबर, 1975 है, की उप-पंजीयक सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि

में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में आपका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध, समस्त दायित्व स्वयमेंव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये, समझे जावेंगे.

आज दिनांक 26 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की पदमुद्रा से जारी की गई.

(625)

ग्वालियर, दिनांक 26 जुलाई, 2014

क्र./परि./2014/689.—महर्षि बाल्मीकि गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर, जिला ग्वालियर जिसका पंजीयन DR/GWR/141, दिनांक 20 जनवरी, 1988 है, की उप-पंजीयक सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है, कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के, यदि हो तो मुझे लिखितरुप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में आपका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध, समस्त दायित्व स्वयमेंव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये, समझे जावेंगे.

आज दिनांक 26 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की पदमुद्रा से जारी की गई.

बी. एल. गुप्ता,
परिसमापक.

(625-A)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 30 जून, 2014

क्र./परि./2014/903.—निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित, कोलारस	457/20-08-1966	113/15-01-2013	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 30 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(626)

शिवपुरी, दिनांक 30 जून, 2014

क्र./परि./2014/904.—निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रायश्री	162/22-02-1987	580/13-07-2010	श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 30 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(626-A)

शिवपुरी, दिनांक 30 जून, 2014

क्र./परि./2014/905.—निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	आदर्श दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी.	484/09-02-2003	1663/08-11-2013	श्री आर. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 30 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

एस. के. सिंह,
उप-रजिस्ट्रार.

(626-B)

कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 30 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण

केसरी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.

(द्वारा अध्यक्ष)

पता:- 102, के-1, स्कीम नं. 71, सेक्टर-ए, इन्दौर.

क्र./परि./2014/12290.—केसरी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./आय.डी.आर./922, दिनांक 12 सितम्बर, 2003 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

संस्था अध्यक्ष द्वारा दिये गये अपने पत्र दिनांक 18 जून, 2014 से अवगत कराया है कि वर्तमान में संस्था के पास कोई भूमि/भूखण्ड शेष नहीं है. संस्था के सदस्यों द्वारा अपनी जमा प्लाट मनी एवं अंशपूंजी वापस मांगी जा रही है एवं व संस्था के सदस्य नहीं बने रहना चाहते है. इस सम्बन्ध में संस्था की आमसभा दिनांक 23 सितम्बर, 2013 में भी यह निर्णय लिया गया था.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केसरी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) (1) के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 30 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

जगदीश कनोज,
उप-आयुक्त.

(627)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2001/1881, विदिशा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2001 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बालाबरखेड़ा, तहसील व जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./434, दिनांक 01 मई, 1992 को परिसमापन में लाया जाकर श्री एफ. एस. राय, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकास खण्ड जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बालाबरखेड़ा, तहसील व जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बालाबरखेड़ा, तहसील व जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./434, दिनांक 01 मई, 1992 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक.

(608)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर

नरसिंहपुर, दिनांक 04 फरवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./2014/02—विद्यार्थी सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., गोटेगांव, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर, जिसका पंजीयन क्र. 177, वर्ष 1965 है, को उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला नरसिंहपुर के आदेश क्र./उ.र.न./परि./2013/1002, दिनांक 25 सितम्बर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध एवं समस्त दायित्व का निराकरण विधि अनुरूप कर दिया जायेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(628)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, जनपद गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर

नरसिंहपुर, दिनांक 17 जुलाई, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 सी/ग के अन्तर्गत)

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला नरसिंहपुर मध्यप्रदेश के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिमापन में लाया जाकर नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	संस्था का नाम	पं. क्र. एवं दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5
1.	गजानन्द उद्यानिकी स्वा. सहकारिता करकबेल.	64/09-09-2011	175/05-02-2014	संजय दुबे, सह. वि. अधिकारी.
2.	जगदम्बा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गाडरवाराखेडा.	595/	279/26-02-2014	संजय दुबे, सह. वि. अधिकारी.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1962 के नियम 57 सी/ग के अंतर्गत उक्त क्रमांक 1 एवं 2 संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रुप से प्रस्तुत कर सकते है. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नही किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व का निराकरण विधि अनुरुप कर दिया जायेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्ही व्यक्तियों संस्था सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से सम्बन्धित कोई लेख पुस्तकें, चल/अचल सम्पत्ति अन्य कोई समान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर सम्बन्धित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें, अवधि खत्म होने के पश्चात किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 17 जुलाई, 2014 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

संजय दुबे,
परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

(628-A)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार

धार, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/564.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2013/1343, धार, दिनांक 05 अक्टूबर, 2013 के द्वारा सहकारिता विभाग के शासकीय कर्मचारियों की साख सहकारी संस्था मर्या., धार, तहसील व जिला धार (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 345, दिनांक 12 फरवरी, 1970 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री डी. एस. निगम, सहकारी निरीक्षक, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत सहकारिता विभाग के शासकीय कर्मचारियों की साख सहकारी संस्था मर्या., धार, तहसील व जिला धार (मध्यप्रदेश) का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

ओ. पी. गुप्ता,
उप-रजिस्ट्रार.

(629)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (व्यावरा)

राजगढ़, दिनांक 11 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./14/Q1.—सर्व-साधारण एवं सदस्यों की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ के आदेश क्र./परि./2014/409/राजगढ़ , दिनांक 06 मई, 2014 के अनुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक व दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा धारा-70 (1) के तहत् मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम सहकारी संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गोलाखेडा	725/13-02-2002	983/31-05-2006
2.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सुवासडा	860/22-04-2003	997/31-05-2006
3.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कोलुखेडी	866/02-06-2003	997/31-05-2006
4.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पाडलीखाती	867/06-06-2003	997/31-05-2006
5.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., हीरापुरा	817/28-07-2002	1057/31-05-2000
6.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कांगनीखेडा	860/22-07-2003	1002/31-05-2006
7.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., चीबडकलां	926/08-04-2004	1002/31-05-2006
8.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., लक्ष्मणपुरा	877/09-07-2003	1002/31-05-2006
9.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पीपल्दा	879/09-07-2003	1002/31-05-2006

अत: मैं, सुरेश भण्डारी, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अन्तर्गत सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिये सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो लेना-देना निकल रहा हो, वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 02 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वरूप प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वरूप के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी उपलब्ध रिकार्ड (आडिट नोट) के अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं का पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों/पदाधिकारियों के पास इन समितियों के सम्बन्ध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 (पन्द्रह) दिवस के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुई तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित व्यक्ति की होगी.

आज दिनांक 11 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

सुरेश भण्डारी,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(630)

कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला नीमच

नीमच, दिनांक 08 जुलाई, 2014

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

जय माँ कालीका मत्स्य सहकारी सोसायटी, मर्यादित,

हरकीया खाल, जिला नीमच (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/142.—कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण), जिला नीमच द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 में की गई सम्परीक्षा में जय माँ कालीका मत्स्य सहकारी सोसायटी मर्यादित, हरकीया खाल, जिला नीमच, पंजीयन क्रमांक/116, दिनांक 14 जुलाई, 2008 को अकार्यशील पाते हुए ''डी'' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि सहकारी सोसायटी द्वारा अपना कार्य करना बंद कर दिया गया है. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जय माँ कालीका मत्स्य सहकारी सोसायटी मर्यादित, हरकीया खाल, जिला नीमच को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी ने अपना कार्य बन्द कर दिया है. अत: क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(631)

नीमच, दिनांक 08 जुलाई, 2014

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

सी. सी. आई. प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, मर्यादित,

नयागॉव, जिला नीमच (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/143.—कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण), जिला नीमच द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-58 में की गई सम्परीक्षा में सी. सी. आई. प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, मर्यादित, नयागॉव, जिला नीमच, पंजीयन क्रमांक/329, दिनांक 28 जनवरी, 1986 को अकार्यशील पाते हुए ''डी'' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि सहकारी भण्डार/ सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया गया है. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सी. सी. आई. प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, मर्यादित, नयागॉव, जिला नीमच को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी ने अपना कार्य बन्द कर दिया है. अत: क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(631-A)

नीमच, दिनांक 08 जुलाई, 2014

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

लक्ष्मी मत्स्य सहकारी सोसायटी,

मर्यादित, चैनपुरा, जिला नीमच (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/144.—कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण), जिला नीमच द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 में की गई सम्परीक्षा में लक्ष्मी मत्स्य सहकारी सोसायटी, मर्यादित, चैनपुरा, जिला नीमच, पंजीयन क्रमांक/98, दिनांक 10 अगस्त, 2007 को अकार्यशील पाते हुए ''डी'' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि सहकारी सोसायटी द्वारा अपना कार्य करना बंद कर दिया गया है. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए लक्ष्मी मत्स्य सहकारी सोसायटी, मर्यादित, चैनपुरा, जिला नीमच को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी ने अपना कार्य बन्द कर दिया है. अत: क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(631-B)

नीमच, दिनांक 08 जुलाई, 2014

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

जय माँ शेरावाली मत्स्योद्योग सहकारी सोसायटी,

मर्यादित, अमरपुरा, जिला नीमच (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/145.—कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण), जिला नीमच द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 में की गई सम्परीक्षा में जय माँ शेरावाली मत्स्योद्योग सहकारी सोसायटी,मर्यादित, अमरपुरा, जिला नीमच, पंजीयन क्रमांक/88, दिनांक 27 अप्रैल, 2007 को अकार्यशील पाते हुए ''डी'' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि सहकारी सोसायटी द्वारा अपना कार्य करना बंद कर दिया गया है. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जय माँ शेरावाली मत्स्योद्योग सहकारी सोसायटी,मर्यादित, अमरपुरा, जिला नीमच को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी ने अपना कार्य बन्द कर दिया है. अत: क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(631-C)

नीमच, दिनांक 08 जुलाई, 2014

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

जय अम्बे मत्स्य सहकारी सोसायटी,

मर्यादित, खेडली, जिला नीमच (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/146.—कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण), जिला नीमच द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 में की गई सम्परीक्षा में जय अम्बे मत्स्य सहकारी सोसायटी, मर्यादित, खेडली, जिला नीमच, पंजीयन क्रमांक/36, दिनांक 05 फरवरी, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम के अनुसार तीन माह की समयावधि व्यतीत होने के पश्चात भी संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराकर सोसायटी द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही नहीं की गई है. इससे स्पष्ट है कि सोसायटी द्वारा नियम समयावधि में अपना कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जय अम्बे मत्स्य सहकारी सोसायटी, मर्यादित, खेडली, जिला नीमच को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी ने अपना कार्य बन्द कर दिया है. अत: क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(631-D)

नीमच, दिनांक 08 जुलाई, 2014

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

ग्रा. वि. मत्स्य सहकारी सोसायटी,

मर्यादित, झातला, जिला नीमच (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/147.—कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण), जिला नीमच द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 में की गई सम्परीक्षा में ग्रा. वि. मत्स्य सहकारी सोसायटी, मर्यादित, झातला, जिला नीमच, पंजीयन क्रमांक/22, दिनांक 17 अक्टूबर, 2001 को अकार्यशील पाते हुए ''डी'' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि सहकारी भण्डार/सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्रा. वि. मत्स्य सहकारी सोसायटी, मर्यादित, झातला, जिला नीमच को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी ने अपना कार्य बन्द कर दिया है. अत: क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(631-E)

नीमच, दिनांक 08 जुलाई, 2014

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

ग्रामीण मछुआ मं. सहकारी सोसायटी,

मर्यादित, हाडाखेडी, जिला नीमच (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/148.—कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण), जिला नीमच द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 में की गई सम्परीक्षा में ग्रामीण मछुआ मं. सहकारी सोसायटी,मर्यादित, हाडाखेडी, जिला नीमच, पंजीयन क्रमांक/21, दिनांक 09 जुलाई, 2001 को अकार्यशील पाते हुए ''डी'' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि सहकारी भण्डार/सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्रामीण मछुआ मं. सहकारी सोसायटी,मर्यादित, हाडाखेडी, जिला नीमच को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी ने अपना कार्य बन्द कर दिया है. अत: क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(631-F)

नीमच, दिनांक 08 जुलाई, 2014

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

अटल सागर मत्स्य सहकारी सोसायटी,

मर्यादित, मांगरोल, जिला नीमच (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/149.—कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण), जिला नीमच द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 में की गई सम्परीक्षा में अटल सागर मत्स्य सहकारी सोसायटी,मर्यादित, मांगरोल, जिला नीमच, पंजीयन क्रमांक/138, दिनांक 25 सितम्बर, 2009 को अकार्यशील पाते हुए ''डी'' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि सहकारी सोसायटी द्वारा अपना कार्य करना बंद कर दिया गया है. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अटल सागर मत्स्य सहकारी सोसायटी,मर्यादित, मांगरोल, जिला नीमच को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी ने अपना कार्य बन्द कर दिया है. अत: क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(631-G)

नीमच, दिनांक 08 जुलाई, 2014

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

ऐग्रो फॉरेस्ट्री सहकारी सोसायटी,मर्यादित, नीमच (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/150.—कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण), जिला नीमच द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-58 में की गई सम्परीक्षा में ऐग्रो फॉरेस्ट्री सहकारी सोसायटी,मर्यादित, नीमच, पंजीयन क्रमांक/46, दिनांक 05 अगस्त, 2003 द्वारा सहकारी अधिनियम के अनुसार सम्परीक्षा कराये जाने हेतु आमसभा द्वारा नियुक्त आडिटर का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है. इससे स्पष्ट है कि सहकारी भण्डार/सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है एवं सोसायटी अपने लेखों की सम्परीक्षा कराने में असफल रही है एवं इस प्रकार सोसायटी में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य करना बंद कर दिया है. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐग्रो फॉरेस्ट्री सहकारी सोसायटी,मर्यादित, नीमच को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी ने अपना कार्य बन्द कर दिया है. अत: क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(631-H)

नीमच, दिनांक 08 जुलाई, 2014

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी,

मर्यादित, दुधलाई, जिला नीमच (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/151.—कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण), जिला नीमच द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 में की गई सम्परीक्षा में प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी,मर्यादित, दुधलाई, जिला नीमच, पंजीयन क्रमांक/496, दिनांक 02 सितम्बर, 1997 को अकार्यशील पाते हुए ''डी'' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि सहकारी भण्डार/सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी,मर्यादित, दुधलाई, जिला नीमच को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी ने अपना कार्य बन्द कर दिया है. अत: क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(631-I)

नीमच, दिनांक 08 जुलाई, 2014

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

प्राथमिक बारदाना क्रय-विक्रय सहकारी सोसायटी,

मर्यादित, नीमच (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/152.—कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण), जिला नीमच द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 में की गई सम्परीक्षा में प्राथमिक बारदाना क्रय-विक्रय सहकारी सोसायटी, मर्यादित, नीमच, पंजीयन क्रमांक/97, दिनांक 08 अगस्त, 2007 को अकार्यशील पाते हुए ''डी'' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि सहकारी भण्डार/सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक बारदाना क्रय-विक्रय सहकारी सोसायटी, मर्यादित, नीमच को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी ने अपना कार्य बन्द कर दिया है. अत: क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(631-J)

नीमच, दिनांक 08 जुलाई, 2014

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

सरस्वती गृह निर्माण सहकारी सोसायटी, मर्यादित, खौर,

जिला नीमच (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/153.—कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण), जिला नीमच द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 में की गई सम्परीक्षा में सरस्वती गृह निर्माण सहकारी सोसायटी, मर्यादित, खौर, जिला नीमच, पंजीयन क्रमांक/23, दिनांक 31 अगस्त, 1984 को अकार्यशील पाते हुए ''डी'' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. सोसायटी द्वारा नियत समयावधि में संचालक मण्डल का निर्वाचन भी नहीं कराया गया है. इससे स्पष्ट है कि सहकारी भण्डार/सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरस्वती गृह निर्माण सहकारी सोसायटी, मर्यादित, खौर, जिला नीमच को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी ने अपना कार्य बन्द कर दिया है. अत: क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(631-K)

नीमच, दिनांक 08 जुलाई, 2014

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

केन्द्रीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी सोसायटी,

मर्यादित, नीमच (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/154.—कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण), जिला नीमच द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 में की गई सम्परीक्षा में केन्द्रीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी सोसायटी, मर्यादित, नीमच, पंजीयन क्रमांक/810, दिनांक 01 मार्च, 1997 को अकार्यशील पाते हुए ''डी'' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि सहकारी भण्डार/सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी सोसायटी, मर्यादित, नीमच को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी ने अपना कार्य बन्द कर दिया है. अत: क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(631-L)

नीमच, दिनांक 08 जुलाई, 2014

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

सुविधा गृह निर्माण सहकारी सोसायटी,

मर्यादित, नीमच (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/155.—कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण), जिला नीमच द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,

1960 की धारा-58 में की गई सम्परीक्षा में सुविधा गृह निर्माण सहकारी सोसायटी मर्या., नीमच, पंजीयन क्रमांक/22, दिनांक 07 मई, 1984 को अकार्यशील पाते हुए ''डी'' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि सहकारी भण्डार/सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुविधा गृह निर्माण सहकारी सोसायटी मर्या., नीमच को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी ने अपना कार्य बन्द कर दिया है. अतः क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(631-M)

नीमच, दिनांक 08 जुलाई, 2014

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

माँ वैष्णोदेवी ई. आ. सहकारी सोसायटी, मर्यादित,

नीमच (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/157.—कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण), जिला नीमच द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 में की गई सम्परीक्षा में माँ वैष्णोदेवी ई. आ. सहकारी सोसायटी मर्या., नीमच, पंजीयन क्रमांक/56, दिनांक 05 फरवरी, 2005 को अकार्यशील पाते हुए ''डी'' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि सहकारी भण्डार/सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ वैष्णोदेवी ई. आ. सहकारी सोसायटी मर्या., नीमच को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी ने अपना कार्य बन्द कर दिया है. अतः क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(631-N)

नीमच, दिनांक 08 जुलाई, 2014

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

संस्कृति प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, मर्यादित,

नीमच (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/158.—कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण), जिला नीमच द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 में की गई सम्परीक्षा में संस्कृति प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., नीमच, पंजीयन क्रमांक/111, दिनांक 26 दिसम्बर, 2007 को अकार्यशील पाते हुए ''डी'' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि सहकारी भण्डार/सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्कृति प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., नीमच को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी ने अपना कार्य बन्द कर दिया है. अत: क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(631-O)

नीमच, दिनांक 08 जुलाई, 2014

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

संस्कार प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, मर्यादित,

नीमच (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/159.—कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण), जिला नीमच द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 में की गई सम्परीक्षा में संस्कार प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., नीमच, पंजीयन क्रमांक/102, दिनांक 24 अक्टूबर, 2007 को अकार्यशील पाते हुए ''डी'' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि सहकारी भण्डार/सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्कार प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., नीमच को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी ने अपना कार्य बन्द कर दिया है. अत: क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(631-P)

नीमच, दिनांक 08 जुलाई, 2014

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

जय भेरवाय प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, मर्यादित,

नीमच (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/160.—कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण), जिला नीमच द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 में की गई सम्परीक्षा में जय भेरवाय प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., नीमच, पंजीयन क्रमांक/109, दिनांक 20 दिसम्बर, 2007 को अकार्यशील पाते हुए ''डी'' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि सहकारी भण्डार/सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जय भेरवाय प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., नीमच को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी ने अपना कार्य बन्द कर दिया है. अतः क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(631-Q)

नीमच, दिनांक 08 जुलाई, 2014

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

जय माँ भादवा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, मर्यादित,

नीमच (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/161.—कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण), जिला नीमच द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 में की गई सम्परीक्षा में जय माँ भादवा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, मर्या., नीमच, पंजीयन क्रमांक/110, दिनांक 26 दिसम्बर, 2007 को अकार्यशील पाते हुए ''डी'' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि सहकारी भण्डार/सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जय माँ भादवा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., नीमच को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी ने अपना कार्य बन्द कर दिया है. अत: क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(631-R)

नीमच, दिनांक 08 जुलाई, 2014

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

सुलभ प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, मर्यादित,

नीमच (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/162.—कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण), जिला नीमच द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 में की गई सम्परीक्षा में सुलभ प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., नीमच, पंजीयन क्रमांक/531, दिनांक 16 जनवरी, 1991 को अकार्यशील पाते हुए ''डी'' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि सहकारी भण्डार/सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुलभ प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., नीमच को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी ने अपना कार्य बन्द कर दिया है. अत: क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(631-S)

नीमच, दिनांक 16 जुलाई, 2014

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

सार्वजनिक वाचनालय साख सहकारी सोसायटी, मर्यादित,

नीमच (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/193.—कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण), जिला नीमच द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की

धारा-58 में की गई सम्परीक्षा में सार्वजनिक वाचनालय साख सहकारी सोसायटी मर्या., नीमच, पंजीयन क्रमांक/16, दिनांक 04 जुलाई, 1950 को अकार्यशील पाते हुए ''डी'' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि सहकारी सोसायटी द्वारा अपना कार्य करना बंद कर दिया गया है. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक वाचनालय साख सहकारी सोसायटी मर्या., नीमच को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी ने अपना कार्य बन्द कर दिया है. अतः क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 16 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया है.

(631-T)

नीमच, दिनांक 16 जुलाई, 2014

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

मित्रजीत साख सहकारी सोसायटी,

मर्यादित, नीमच (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/194.—कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण), जिला नीमच द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 में की गई सम्परीक्षा में मित्रजीत साख सहकारी सोसायटी मर्या., नीमच, पंजीयन क्रमांक/149, दिनांक 22 जनवरी, 2010 को अकार्यशील पाते हुए ''डी'' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि सहकारी सोसायटी द्वारा अपना कार्य करना बंद कर दिया गया है. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मित्रजीत साख सहकारी सोसायटी मर्या., नीमच, को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी ने अपना कार्य बन्द कर दिया है. अतः क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 16 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया है.

(631-U)

नीमच, दिनांक 16 जुलाई, 2014

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

वैभवश्री साख सहकारी सोसायटी,

मर्यादित, नीमच (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/195.—कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण), जिला नीमच द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 में की गई सम्परीक्षा में वैभवश्री साख सहकारी सोसायटी मर्या., नीमच, पंजीयन क्रमांक/137, दिनांक 01 सितम्बर, 2009 को अकार्यशील पाते हुए ''डी'' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि सहकारी सोसायटी द्वारा अपना कार्य करना बंद कर दिया गया है. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए वैभवश्री साख सहकारी सोसायटी मर्या., नीमच को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी ने अपना कार्य बन्द कर दिया है. अत: क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 16 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया है.

(631-V)

नीमच, दिनांक 16 जुलाई, 2014

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

पहचान साख सहकारी सोसायटी,

मर्यादित, नीमच (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/196.—कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण), जिला नीमच द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 में की गई सम्परीक्षा में पहचान साख सहकारी सोसायटी मर्या., नीमच, पंजीयन क्रमांक/134, दिनांक 27 सितम्बर, 2008 को अकार्यशील पाते हुए ''डी'' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि सहकारी सोसायटी द्वारा अपना कार्य करना बंद कर दिया गया है. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहचान साख सहकारी सोसायटी मर्या., नीमच को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी ने अपना कार्य बन्द कर दिया है. अत: क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 16 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(631-W)

नीमच, दिनांक 16 जुलाई, 2014

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

लक्ष्मी साख सहकारी सोसायटी,

मर्यादित, नीमच (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/197.—कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण), जिला नीमच द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 में की गई सम्परीक्षा में लक्ष्मी साख सहकारी सोसायटी मर्या., नीमच, पंजीयन क्रमांक/117, दिनांक 22 अगस्त, 2008 को अकार्यशील पाते हुए ''डी'' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि सहकारी सोसायटी द्वारा अपना कार्य करना बंद कर दिया गया है. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी मर्या., नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए लक्ष्मी साख सहकारी सोसायटी मर्या., नीमच को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी ने अपना कार्य बन्द कर दिया है. अत: क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 16 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया है.

(631-X)

नीमच, दिनांक 16 जुलाई, 2014

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

शासकीय कर्मचारी कल्याण साख सहकारी सोसायटी,

मर्यादित, नीमच (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/198.—कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण), जिला नीमच द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-58 में की गई सम्परीक्षा में शासकीय कर्मचारी कल्याण साख सहकारी सोसायटी मर्यादित, नीमच, पंजीयन क्रमांक/62, दिनांक 26 अगस्त, 2005 को अकार्यशील पाते हुए ''डी'' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि सहकारी सोसायटी द्वारा अपना कार्य करना बंद कर दिया गया है. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासकीय कर्मचारी कल्याण साख सहकारी सोसायटी मर्यादित, नीमच को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी ने अपना कार्य बन्द कर दिया है. अत: क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(631-Y)

नीमच, दिनांक 16 जुलाई, 2014

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

नीमच परस्पर साख सहकारी सोसायटी,

मर्यादित, नीमच (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/199.—कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण), जिला नीमच द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 में की गई सम्परीक्षा में नीमच परस्पर साख सहकारी सोसायटी मर्यादित, नीमच, पंजीयन क्रमांक/825, दिनांक 13 अप्रैल, 1999 को अकार्यशील पाते हुए ''डी'' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि सहकारी सोसायटी द्वारा अपना कार्य करना बंद कर दिया गया है. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीमच परस्पर साख सहकारी सोसायटी मर्यादित, नीमच, जिला नीमच को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी ने अपना कार्य बन्द कर दिया है. अत: क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 16 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(631-Z)

नीमच, दिनांक 16 जुलाई, 2014

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

नागरीक साख सहकारी सोसायटी, मर्यादित,

नीमच (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/200.—कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण), जिला नीमच द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 में की गई सम्परीक्षा में नागरीक साख सहकारी सोसायटी, मर्यादित, नीमच, पंजीयन क्रमांक/140, दिनांक 14 अगस्त, 1983 को अकार्यशील पाते हुए ''डी'' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि सहकारी सोसायटी द्वारा अपना कार्य करना बंद कर दिया गया है. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागरीक साख सहकारी सासोयटी, मर्यादित, नीमच, को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी ने अपना कार्य बन्द कर दिया है. अत: क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 16 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

पी. आर. कावड़कर,
उप/सहायक रजिस्ट्रार.

(632)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 अगस्त 2014-श्रावण 17, शके 1936

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 9 अप्रैल, 2014

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**— . .

4. **फसल स्थिति.**— . .

5. **कटाई.**—जिला दतिया, होशंगाबाद में फसल गेहूँ व भोपाल में गेहूँ, चना, मसूर व कटनी में मसूर, चना, गेहूँ व सिंगरौली में गेहूं, चना, जौ, राई-सरसों, तुअर व डिण्डोरी में अलसी, चना, गेहूँ, मटर, मसूर व मुरैना, दमोह, अनूपपुर, धार, इन्दौर, खरगौन, बैतूल, जबलपुर में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, उमरिया, भोपाल में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 9 अप्रैल, 2014

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. फसल कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .		
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. श्योपुर	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. विजयपुर	. .				
***जिला भिण्ड :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भिण्ड	. .		(2) . .		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .		4. (1) गन्ना, मूँग-मोठ, तुअर, मूँगफली, तिली अधिक. उड़द कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) गेहूँ चना, मसूर, राई-सरसों, मटर, जौ.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) . .		
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गेहूँ, गन्ना, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर:	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) सोयाबीन, गेहूँ अधिक. उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		मक्का, गन्ना, चना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. चन्देरी	. .				
***जिला गुना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. राघौगढ़	. .		(2) . .		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़:	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) गेहूँ, जौ समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लवकुशनगर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, अरहर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बक्स्वाहा	. .				
***जिला पन्ना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पन्ना	. .		(2) . .		
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	. .				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		तेवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	. .		प्याज समान.		
4. सागर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. शाहगढ़	. .				
11. मालथोन	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, गन्ना बिगड़ी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. तुअर, अलसी कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		चना, मसूर, सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	. .		(2) . .		
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना, मसूर, अलसी	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		कम. अरहर, जौ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	. .		(2) . .		
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7.रायपुरकर्चुलियान	. .				
***जिला शहडोल :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोहागपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) चना, मटर, गेहूँ अधिक. मसूर,	6. . .	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		अलसी कम.		
3. कोतमा	. .		(2) . .		
4. पुष्पराजगढ़	. .				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		राई-सरसों, तुअर अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	. .		(2) . .		

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1) अलसी, चना, मटर, मसूर, गेहूँ, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुईं.		
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली	मिलीमीटर	2. गेहूँ चना, जौ, राई-सरसों तुअर की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. चितरंगी	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ अधिक. जौ कम. राई-सरसों, अलसी, मटर, चना, आलू समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .				
3. सिंगरौली	. .		(2) . .		
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक. रायडा समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. कयामपुर	. .				
6. मन्दसौर	. .				
7. संजीत	. .				
8. सीतामऊ	. .				
9. धुन्धड़का	. .				
10. शामगढ़	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों अधिक. मसूर, मटर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) . .		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) . .		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
5. बड़ोद	. .				
6. शाजापुर	. .				
7. शुजालपुर	. .				
8. कालापीपल	. .				
9. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक. राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		अलसी, जौ कम. मसूर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	. .		(2) . .		
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. जोबट	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भामरा	. .				
4. कट्ठीवाड़ा	. .				
5. सोण्डवा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. फसल कटाई का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	. .	चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सनावद	. .		मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना, अलसी,	चारा पर्याप्त.	
3. महेश्वर	. .		राई-सरसों समान.		
4. सेगांव	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. करही	. .				
6. खरगौन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसरावद	. .				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला बड़वानी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .		
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मसूर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		अधिक. गन्ना सम्मान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, लाख	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		बिगड़ी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .		(2) उपरोक्त फसल बिगड़ी हुई.		
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना, मसूर की कटाई	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .		
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) मसूर, जौ, चना, मटर, सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		अलसी अधिक. गेहूँ, तिवड़ा कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .		(2) . .		
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	. .	कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. चिचोली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	. .				
4. घोड़ा डोंगरी	. .				
5. बैतूल	. .				
6. आठनेर	. .				
7. मुलताई	. .				
8. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .	चालू है.	4. (1) चना, मटर, मसूर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		गेहूँ कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
***जिला हरदा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. फसलों की कटाई का	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	. .	कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	. .				
4. मझौली	. .				
5. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. मसूर, चना, गेहूँ एवं अन्य	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .	रबी फसलों की कटाई	4. (1) चना, अलसी, मसूर, गेहूँ, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .	का कार्य चालू है.	मटर, जौ.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	. .		(2) . .		
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, गेहूँ, मसूर, चना, मटर.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .				
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .		(2) . .		
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर, अलसी सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .				
3. नैनपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. अलसी, चना, गेहूँ, मसूर, मटर की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) तुअर, राई-सरसों, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, बटरा समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. हर्रई	. .				
11. मोहखेड़ा	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) धान, मक्का, तुअर, रामतिल, गन्ना, गेहूँ, चना, मटर, राई-सरसों अधिक. ज्वार, कोदों-कुटकी, उड़द, तिल, सोयाबीन, सन, लाख, तिवड़ा अलसी कम. मूँग, मूँगफली, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .				
3. लखनादौन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .				
6. घंसौर	. .				
7. घनोरा	. .		(2) . .		
8. छपारा	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .		
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला भिण्ड, गुना, पन्ना, बड़वानी, हरदा, शहडोल से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(620)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.